भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5622

04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में जन्म का रिकॉर्ड रखना

† 5622. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में जन्मों को दर्ज करने के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जन्म के समय प्रजननात्मक और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल के अंतर्गत कौन-से प्रमुख स्वास्थ्य मापदंड दर्ज किए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार जन्म मापदंड दर्ज करने और सूचित करने के लिए एक समान टेम्पलेट शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास अतिरिक्त मापदंडों को शामिल करने के लिए आरसीएच पोर्टल के दायरे को व्यापक बनाने की कोई योजना है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानक दिशानिर्देशों के आधार पर, सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों में शिशु जन्म से संबंधित विभिन्न जनसांख्यिकीय और मानवशास्त्रीय मापदंडों के साथ-साथ माता के जनसांख्यिकीय विवरण को दर्ज करने के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल को क्रियान्वित करता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानक प्रारूप के आधार पर आरसीएच पोर्टल में डेटा एकत्र किया जाता है तथा आरसीएच पोर्टल के केंद्रीयकृत डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप आरसीएच एप्लीकेशन को अनुकूलित करता है।

*****